[2021] 4 एस. सी. आर. 1044

मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 330)

13 अप्रैल, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़,

एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482 भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-एफ. आई. आर. को रद्द करना-के अंतरिम आदेश

कार्यवाहियों को रद्द करने और/या यू/आर्ट के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक और/या कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। 226

की अनिवार्यता-आयोजितः पुलिस के पास संज्ञेय अपराध की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है-अपवादात्मक मामलों को छोड़कर, न्यायालय को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए-जब जांच जारी है और तथ्य अस्पष्ट हैं, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी नहीं करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए-एफ. आई. आर. अपराध के सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करने वाला विश्वकोश नहीं है।

इसलिए, जब जाँच चल रही हो, तो अदालत को एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए-पुलिस को जाँच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए-अदालत की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ एफ़. आई. आर. को मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करना चाहिए-रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सबसे दुर्लभ स्थिति में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दुर्लभ मामले '(मृत्युदंड के संदर्भ में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)-यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है, उसे संक्षिप्त कारण बताना होगा कि ऐसा आदेश क्यों आवश्यक है-वर्तमान मामले में, आक्षेप किया गया है।

प्रत्यर्थी सं. के विरुद्ध अपनाए जाने वाले उपाय। 2 4 अभियुक्तों को, एक तरफ रखा गया-दंड संहिता, 1860-एस। 406 , 420 , 465 , 468 , 471 , 120 बी. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482 भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-यू/के तहत याचिकाओं को रद्द करना s.482 या अनुच्छेद 226

खारिज-जांच के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी नहीं करने के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश- आयोजित: कानून के बावजूद

1044 मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर

पीवीटी। लिमिटेड। वी.

का राज्य

महाराष्ट्र और अन्य

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तरह के आदेशों की निंदा करने से, कई उच्च न्यायालय इस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है जिन्हें उच्च न्यायालयों ने इस तरह के आदेश पारित करने के खिलाफ आगाह किया था।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.340 r/ws। 195 (1) (ख)-प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर याचिका। 2 4-अभियुक्त ने आरोप लगाया कि

अपीलार्थी ने महत्वपूर्ण समझौतों, तथ्यों को दबा दिया और उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश प्राप्त किया जिसने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगा दी-अभिनिर्धारित: विवादित आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश कारण बताते हुए पारित किया गया था-इसके अलावा, भले ही दस्तावेजों/समझौतों को कथित रूप से दबा दिया गया हो,

पारित अंतरिम आदेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 ठहरने का अंतरिम आदेश पारित करने से पहले

भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका लंबित होने तक आगे की जांच के लिए, उच्च न्यायालय को उन मापदंडों को लागू करना होगा जिन पर धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। अधिकार क्षेत्र। किसी दिए गए मामले में, केवल अभियुक्त पर दबाव बनाने की दृष्टि से नागरिक विवाद को आपराधिक विवाद में परिवर्तित करके कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप हो सकते हैं। इसी तरह, किसी दिए गए मामले में शिकायत को ही कानून द्वारा वर्जित कहा जा सकता है। एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में और

चौकसी के साथ असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय आगे की जांच पर रोक लगा सकता है। हालाँकि, एक ही समय में, वास्तविक शिकायतें/एफ़. आई. आर. हो सकती हैं और पुलिस/जाँच एजेंसी के पास संज्ञेय अपराधों की जाँच करने का वैधानिक दायित्व/अधिकार/कर्तव्य है। इसलिए, वास्तविक शिकायतकर्ताओं के अधिकारों और संज्ञेय अपराध करने का खुलासा करने वाली प्राथमिकियों और संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए जांच एजेंसी के वैधानिक दायित्व/कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना होगा।

एक ओर और वे निर्दोष व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है जो किसी मामले में कानून की प्रक्रिया और प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना

करनी चाहिए कि न्याय के आपराधिक प्रशासन में त्वरित जांच की आवश्यकता है। [पैरा 11,12] [1085-सी-एच; 1086 ए] [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, यानी दायर याचिका को रद्द करना। एफ. आई. आर./शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस को एफ. आई. आर./शिकायत के आरोपों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। यह वैधानिक अधिकार है और यहां तक कि पुलिस का कर्तव्य भी है कि वह संज्ञेय अपराध की जांच करे और जांच के दौरान सबूत एकत्र करे। हो सकता है

अभिरक्षा जांच की आवश्यकता जिसके लिए अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में होना आवश्यक है (जिसे रिमांड के रूप में जाना जाता है)। इसलिए, इस तरह के व्यापक अंतरिम आदेश बिना पारित किए गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" के कारण निर्धारित करने से जांच में बाधा आएगी और Cr.P.C के प्रावधानों के तहत प्रदत्त संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस के वैधानिक अधिकार/कर्तव्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, इस तरह का एक व्यापक आदेश बिल्कुल भी उचित नहीं है। उच्च न्यायालय का आदेश होना चाहिए

धारा 482 Cr.P.C के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसने एक विज्ञापन-अंतरिम निर्देश क्यों पारित किया है, इसके कारणों का खुलासा करें। ऐसे कारणों को, चाहे कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, दिमाग के उपयोग का खुलासा करना चाहिए। इस तरह का व्यापक आदेश देने से न केवल जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इसके दूरगामी निहितार्थ भी होंगे। जहां जांच लंबे समय तक रोकी जाती है, भले ही रोक अंततः खाली कर दी जाती है, बाद की जांच इस साधारण कारण से बहुत उपयोगी नहीं हो सकती है कि सबूत अब उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यदि एफ. आई. आर./शिकायत में नामित अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करता है, तो उसके पास धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उपाय है। धारा 438 Cr.P.C के तहत संतुष्ट होने पर, उसे सक्षम अदालत द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी बिना इलाज के है। यह विवादित नहीं हो सकता है कि धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत धारा 438 Cr.P.C के तहत निर्धारित शर्तों पर दी जा सकती है। जब भी किसी संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली प्राथमिकी के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहा है, तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का एक उपाय है। जहां तक अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर होने तक गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश और/या जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश, मेसर्स नीहारिका इंफ्रैक्चर को खारिज करते हुए पारित किया गया।

पीवीटी। लिमिटेड। वी.

का राज्य

महाराष्ट्र और अन्य

धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं को रद्द करना और यह राय रखते हुए कि कोई मामला नहीं है एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने के लिए बनाया गया है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। [पारस 15-17] [1087-E-G; 1088-B-G; 1089 D]

हेमा मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एससीसी

453 [2014] 1 एस. सी. आर. 465-निर्भर।

1.3 इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद उच्च न्यायालयों द्वारा इस अवधि के दौरान गिरफ्तारी नहीं करने के ऐसे आदेशों की निंदा की गई है।

वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और कानून का ईमानदारी से पालन करें, जिसका अन्यथा उच्च न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य हैं। उच्च न्यायालयों को फिर से आगाह किया जाता है भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं को रद्द करने पर विचार नहीं करते हुए, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती और अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जाती, तब तक गिरफ्तारी नहीं करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" के ऐसे आदेश पारित करना। [पारस 19,20] [1090-एफ-जी; 1091-डी-ई]

वी. तेलंगाना राज्य और अन्य (का निर्णय) उच्चतम न्यायालय डी. टी. डी. 05.03.2021 आपराधिक अपील में

नं. 274-275 2021)-पर भरोसा किया।

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतरिम आदेश में जांच एजेंसी/पुलिस को "किसी को भी न अपनाने" का निर्देश दिया गया है

अभियुक्त के खिलाफ "दंडात्मक कदम" टिकाऊ नहीं हैं। यह एक गुप्त आदेश है। पुलिस द्वारा "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का ऐसा व्यापक आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय [2021] 4 एस. सी. आर.

इसका अर्थ "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना है, क्योंकि विवादित अंतरिम आदेश से यह स्पष्ट है कि यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि जहां तक अभियुक्तों का संबंध है, वे पहले से ही सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण से संरक्षित हैं, और इसलिए उच्च न्यायालय के लिए "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने का कोई और कारण और/या औचित्य नहीं था। अगर ऊँचे

अदालत का मतलब था "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का ऐसा अंतरिम आदेश पारित करना जिसमें जांच एजेंसी/पुलिस को आगे की जांच नहीं करने का निर्देश दिया जाए, उस मामले में, बिना कोई कारण बताए और यहां तक कि अनुमति दिए बिना भी ऐसा व्यापक आदेश।

संज्ञेय अपराध के आरोपों की आगे की जांच करने वाली एजेंसी अन्यथा अस्थिर है। इसने जांच एजेंसी के संज्ञेय अपराधों की जांच करने के अधिकार को प्रभावित किया है। [पैरा 21] [1091-एफ-एच; 1092-ए-डी]

"कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का आदेश और वही योग्य है रद्द किया जाए और अलग रखा जाए। [पैरा 21.4] [1094-जी-एच; 1095-ए-बी]

क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद, (2010) 9

एस. सी. सी. 496 [2010] 10 एस. सी. आर. 1070-पर निर्भर था।

1.6 इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.10.2020 स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2020 का एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

संक्षिप्त कारण बताते हुए और भले ही जिन दस्तावेजों/समझौतों को कथित रूप से दबा दिया गया हो, उनका इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12.10.2020 दिनांकित अंतरिम आदेश पारित करते समय क्या तौला जाता है, यह 12.10.2020 दिनांकित अंतरिम आदेश से बहुत स्पष्ट है। इसलिए, आपराधिक विविध याचिका संख्या 4961/2021 को बंद कर दिया गया है।

1.7 निष्कर्ष -

i) पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए संहिता का अध्याय XIV;

iii) यह केवल उन मामलों में है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है कि - न्यायालय जाँच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए (मृत्युदंड के संदर्भ में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)।

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत इस संबंध में जांच शुरू नहीं कर सकती है -

एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा;

vi) आपराधिक कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक चरण;

(vii) शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए;

(ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया की विफलता होगी।

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को इसके अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं - इसकी सनक या कैप्रिस;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है।

जिसे अपराध [2021] 4 एस. सी. आर. से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए।

बताया गया है। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जांच पड़ताल की। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफ. आई. आर. जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के बाद, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

xiv) हालांकि, एक ही समय में, अदालत, यदि वह उचित समझती है, तो रद्द करने और स्वयं के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, विशेष रूप से आर. पी. कपूर और भजन लाल के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को, प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है।

xvi) उपरोक्त मापदंड लागू होंगे और/या उपरोक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। न्यायालय धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रद्द करने वाली याचिका में एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए। हालांकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/या यांत्रिक रूप से पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही होती है और तथ्य अस्पष्ट होते हैं और पूरा सबूत/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय को मैसर्स नीहारिका इंफ्रैक्चर को पारित करने से खुद को रोकना चाहिए।

गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए" और अभियुक्त को सक्षम अदालत के समक्ष धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/निपटाते समय, जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या धारा 173 Cr.P.C के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर होने तक गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। xvii) ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि व्यापक आधार पर विचार करने के बाद आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है।

धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय मापदंड Cr.P.C. और/या यहाँ निर्दिष्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण देने होंगे कि ऐसा अंतरिम आदेश क्यों आवश्यक है और/या इसे पारित करने की आवश्यकता है।

ताकि यह न्यायालय द्वारा दिमाग के अनुप्रयोग को प्रदर्शित कर सके और उच्च मंच इस बात पर विचार कर सके कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय के साथ क्या विचार किया गया था। xviii) जब भी उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मापदंडों के भीतर "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का क्या अर्थ है क्योंकि "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" शब्द को बहुत अस्पष्ट और/या व्यापक कहा जा सकता है जिसे गलत समझा जा सकता है और/या गलत तरीके से लागू किया जा सकता है। [पैरा 23] [1096-बी-एच; 1097-ए-एच; 1098-ए-एच; 1099-ए]

आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) 1 पूरक। एस. सी. सी. 335

पर भरोसा किया।

1.8 में निहित विवादित अंतरिम आदेश/निर्देश

विवादित अंतरिम आदेश का खंड (डी) जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उसके खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता (प्रत्यर्थी सं। 2 से 4 यहाँ) वर्ली पुलिस स्टेशन, मुंबई, महाराष्ट्र में दर्ज एफ. आई. आर. No.367/2019 दिनांक 19.09.2019 के संबंध में (बाद में आर्थिक विभाग को हस्तांतरित)

अपराध शाखा, इकाई IX, मुंबई, जिसे सी. आर. संख्या 82/2019 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है) को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। [पैरा 24] [1099-बी-सी] [2021] 4 एस।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम। हरियाणा राज्य (1977) 4 एससीसी 451; ए. पी. बनाम राज्य गोलकोंडा लिंग स्वामी

(2004) 6 एस. सी. सी. 522 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 147; ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम। मोहम्मद. शराफुल हक

(2005) 1 एससीसी 122: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 790; सनपारेडे महेंदर शेषगिरी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2007) 13 एससीसी 165: [2007] 13 एस. सी. आर. 478; महाराष्ट्र राज्य बनाम अरुण गुलाब गवली (2010) 9 एस. सी. सी. 701 [2010] 10 एस. सी. आर. 683; उड़ीसा राज्य बनाम। उज्ज्वल कुमार बर्धन (2012) 4 एस. सी. सी. 547: [2012] 4 एस. सी. सी. 547; इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 688 [2012] 1 एस. सी. आर. 779;

रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2018) 16 एस. सी. सी. 299: [2018] 2 एस. सी. आर. 1045; बिहार राज्य बनाम। जे. ए. सी. सल्दान्हा (1980) 1 एस. सी. सी. 554: [1980] 2 एससीआर 16; एस. एम. शर्मा बनाम बिपिन कुमार तिवारी (1970) 1 एस. सी. सी. 653: [1970] 3 एस. सी. आर. 946; भारत संघ बनाम। प्रकाश पी. हिंदुजा (2003) 6 एस. सी. सी. 195: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 307; सतविंदर कौर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार), (1999) 8 एस. सी. सी. 728 [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 348; सुपदी. पुलिस, सी. बी. आई. बनाम। तपन कुमार सिंह, (2003) 6 एससीसी 175: [2003] 3 एससीआर 485; यू. पी. राज्य बनाम नरेश (2011) 4 एस. सी. सी. 324 [2011] 4 एस. सी. आर. 1176;

9 एस. सी. सी. 24 [2019] 12 एस. सी. आर. 172; स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 958; विशेष निदेशक वी. मोहम्मद. गुलाम गौस (2004) 3 एस. सी. सी. 440: [2004] 1 एस. सी. आर. 399; निटको टाइल्स लिमिटेड बनाम गुजरात सिरेमिक फर्श

टाइल्स एम. एफ. जी. एसोसिएशन, (2005) 12 एस. सी. सी. 454; हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1998) 2 एस. सी. सी. 242: [1998] 1 एस. सी. आर. 4-पर निर्भर।

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। बज्जूरी कंथैया (2009) 1 एस. सी. सी. 114: [2008] 14 एस. सी. आर. 841; कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी, (1977) 2 एससीसी 699 [1977] 3 एससीआर 113; राजीव थापर वी. मदन लाल कपूर, (2013) 3 एससीसी 330 [2013] 3 एससीआर 52; उत्तर प्रदेश राज्य। वी. मोहम्मद नईम एयर 1964 एससी 703; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम।

मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर

पीवीटी। लिमिटेड। वी.

का राज्य

महाराष्ट्र और अन्य

गौरीशेट्टी महेश (2010) 11 एससीसी 226: [2010] 8

एससीआर 423; विजेता गजरा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2010)

11 एससीसी 618 [2010] 7 एससीआर 1150; राज्य

महाराष्ट्र बनाम. संजय डालमिया (2015) 17 एस. सी. सी. 539;

अमीश देवगन बनाम। भारत संघ (2021) 1 एस. सी. सी. 1;

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय dtd.22.06। 2020 में

गंगा राम अस्पताल बनाम राज्य [CRL.M.A. सं. 7661 /

2020 डब्ल्यू. पी. में (सीआरएल।) नहीं. 921/2020]; नूर ताकी उपनाम मम्मू वी. राजस्थान राज्य एयर 1987 आर. ए. जे. 52;

मधुर पुरुषोत्तम मोंडकर बनाम। तालाब हाजी हुसैन ए. आई. आर. 1958 बी. ओ. एम. 406-संदर्भित।

राजा-सम्राट बनाम। ख्वाजा नजीर अहमद एयर 1945 पीसी

18 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 141

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.6

[2004] 3 पूरक। एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.11

[2004] 5 पूरक। एससीआर 790

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.11

[2007] 13 एससीआर 478

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.11

[2008] 14 एससीआर 841

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.11

[2010] 10 एससीआर 683

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.11

उस पर भरोसा करें

[2012] 4 एस. सी. सी. 547

पैरा 3.11

[2012] 1 एससीआर 779

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.13

[2018] 2 एससीआर 1045

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.15

[1977] 3 एससीआर 113

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.3

[2013] 3 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.8

[2010] 8 एससीआर 423

पैरा 4.9

संदर्भित किया गया है

[2010] 7 एससीआर 1150

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.9

[1980] 2 एससीआर 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.1

[1970] 3 एससीआर 946

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.1

[2003] 1 पूरक। एससीआर 307

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.2

[1999] 3 पूरक। एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.5 [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 3 एससीआर 485

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.6

[2011] 4 एससीआर 1176

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.6

[2019] 12 एससीआर 172

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.8

2014] 1 एससीआर 465

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[2004] 1 एससीआर 399

उस पर भरोसा करें

पैरा 21.1

[1998] 1 एससीआर 4

उस पर भरोसा करें

पैरा 21.3

उस पर भरोसा करें

पैरा 21.4

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं।

330 2021 से।

उच्च न्यायालय के 28.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की रिट याचिका (एसटी) संख्या 2306 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरुणाभ चौधरी, वैभव

तोमर, अभय जडेजा, सुश्री बरनल्ली चौधरी, वरुण सतिया, डेचन डब्ल्यू. लाचुंगपा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, दिलजीत

अहलूवालिया, मलक मनीष भट्ट, सुश्री नीहा नागपाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित अंतरिम से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

बॉम्बे में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2020 की रिट याचिका (एसटी) संख्या 2306 में पारित आदेश, जिसके द्वारा, निजी प्रतिवादी संख्या 2306 द्वारा दायर एक आवेदन में। 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 आर/डब्ल्यू धारा 482 Cr.P.C के तहत इसमें 4 (इसके बाद 'मूल आरोपी' के रूप में संदर्भित) को रद्द करने की प्रार्थना के साथ।

आपराधिक कार्यवाही एफ. आई. आर. सं. 367/2019 दिनांक 19.09.2019 होने के कारण, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उक्त एफ. आई. आर. के संबंध में मूल अभियुक्त के खिलाफ "कोई दंडात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे", मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि यहाँ अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है

नं. 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,465,468,471 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए वर्ली पुलिस स्टेशन, मुंबई में मूल आरोपी। कि मूल अभियुक्त मेसर्स नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. के खिलाफ आरोप।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

2.1 उपरोक्त एफ. आई. आर. के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए, मूल अभियुक्त ने धारा 438 Cr.P.C के तहत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कि विद्वत सत्र न्यायालय, मुंबई ने अभियुक्त को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अभियुक्त। कि अंतरिम संरक्षण, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था, समय-समय पर आगे बढ़ाया गया और उसके बाद लगभग एक वर्ष तक जारी रहा। कि विद्वत सत्र न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, मूल अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या। 2 इसमें 4 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 आर/डब्ल्यू धारा 482 Cr.P.C के तहत बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की।

17.09.2020 . कि उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 22.09.2020 पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक आदेश पारित किया गया था जिसमें मामले को 24.09.2020 पर दूसरे के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

बेंच। कि 28.09.2020 पर, रिट याचिका को एक अन्य खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील (उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2) ने जवाब में एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। दस्तावेजों का संकलन। कि खंड पीठ ने इसमें अपीलार्थी को रजिस्ट्री में दस्तावेजों के अतिरिक्त संकलन के साथ जवाब में एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिसमें दूसरी तरफ की प्रति भी शामिल है। मूल अभियुक्त (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता) को 19.10.2020 पर या उससे पहले, यदि कोई हो, तो जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस मामले को 28.10.2020 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। मामले को 28.10.2020 तक स्थगित करते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि "याचिकाकर्ताओं (मूल आरोपी-प्रतिवादी संख्या। 2 4) उक्त एफ. आई. आर. के संबंध में। जब उपरोक्त आदेश पारित किया जा रहा था, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए लंबित है और विद्वान सत्र न्यायालय उक्त आदेश से प्रभावित हो सकता है और इसलिए खंड पीठ ने स्पष्ट किया कि विद्वान सत्र न्यायालय अपने गुण-दोष के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.2 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह निर्देश देते हुए पारित किए गए विवादित अंतरिम आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कि उक्त प्राथमिकी के संबंध में मूल अभियुक्त (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता) के खिलाफ "कोई दंडात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे", मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 3. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए-मूल प्रतिवादी नं. 2 - शिकायतकर्ता, श्री दिलजीत अहलूवालिया और श्री मलक मनीष भट्ट, विद्वान अधिवक्ता मूल अभियुक्त-रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या की ओर से पेश हुए हैं। 2 इसमें 4 और श्री सचिन पाटिल और श्री राहुल चिटनिस, विद्वान अधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय का इस तरह का एक व्यापक निर्देश जांच पर रोक लगाता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकारी को दंडात्मक कदम उठाने से बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया था।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को मूल अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या की सराहना करनी चाहिए थी। 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,465,468,471 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और वास्तव में, प्राथमिकी को आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था और जांच की जा रही थी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा संचालित।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के बाद मूल अभियुक्त जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे। 3.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, जांच अधिकारी को मूल अभियुक्त के खिलाफ दंडात्मक उपाय करने से रोकने के लिए इस तरह का एक व्यापक निर्देश जारी करके, जांच अधिकारी के अपराधों की जांच करने के मूल्यवान अधिकार को बाधित किया गया है और/या छीन लिया गया है।

3.6 राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

तेलंगाना बनाम. हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एस. सी. सी. 779, श्री विश्वनाथन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 482 सी. आर. के तहत शक्तियां। पी. सी. या अनुच्छेद 226 के तहत

प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए भारत के संविधान का उपयोग बहुत ही संयम से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग लोगों का दम घोंटने या उनका दम घोंटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चौकसी और दुर्लभतम मामलों में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है। तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है, एफ. आई. आर. को निरस्त करने के मामले में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग संयम और संयम के साथ किया जाना चाहिए। सावधानी और कब और केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को प्रावधान में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षण द्वारा उचित ठहराया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति बहुत व्यापक है लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है।

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में, न्यायालय ने पाया है कि

कानून में उपयुक्त समझे जाने वाले आदेश, लेकिन ऐसा अंतरिम आदेश भी रद्द करने और स्वयं के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाएगा। कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामले में भी उच्च न्यायालय को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों या जांच में क्या सामने आया है, इस पर विचार करना होगा।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक मामले में आरोपी जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, गिरफ्तारी की आशंका है, उसके लिए धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत आवेदन दायर करने के लिए एक उपाय उपलब्ध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया जाता है, तब भी इसे धारा 438 Cr.P.C के मापदंडों के भीतर दिया जा सकता है और उक्त प्रावधान की शर्तों को पूरा किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, किसी भी शर्त को लागू किए बिना और शर्तों की संतुष्टि के बिना कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का ऐसा आदेश

धारा 438 Cr.P.C. बिल्कुल भी अनुज्ञेय नहीं है।

3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, इस तरह, "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" के इस तरह के एक व्यापक आदेश को पारित करके, यहां तक कि सरकार का मूल्यवान अधिकार भी।

एफ. आई. आर. की जाँच करने वाली एजेंसी/पुलिस प्रभावित होगी।

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय को किसी दिए गए मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है, रद्द करने के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उस मामले में भी, ऐसे अंतरिम आदेश यांत्रिक रूप से और/या बिना कोई कारण बताए पारित नहीं किए जा सकते हैं। यह है।

प्रस्तुत किया कि इस तरह की सुरक्षा प्रदान करते समय, यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी कुछ संक्षिप्त कारण देने होते हैं कि जांच पर रोक और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं" के इस तरह के आदेश की आवश्यकता क्यों है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और जांच में क्या सामने आया है, इस पर दिमाग लगाने का प्रतिबिंब होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, जब जांच प्रगति पर है

हद तक, मामले की जांच पर रोक लगाना उचित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल एक असाधारण मामले और दुर्लभतम मामले में, एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

परिवीक्षण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वही मापदंड जो धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय लागू होंगे। और /

या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने के लिए / एक उचित अंतरिम आदेश पारित करते समय जांच लागू होगी।

3.11 श्री विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है कि कब कोई उच्च न्यायालय भारत के संविधान की धारा 482 अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच पर रोक लगा सकता है या "कोई दंडात्मक उपाय आदेश नहीं" दे सकता है और उसकी प्रस्तुतियों के समर्थन में कि (1) अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं और वैधानिक शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए; (2) किसी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की शक्ति सामान्य रूप से एम/एस नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना; (3) अपवादात्मक मामले को छोड़कर

राजा-सम्राट बनाम। ख्वाजा नजीर अहमद ए. आई. आर 1945 पी. सी. 18; आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866; कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य (1977) 4 एससीसी 451; ए. पी. बनाम राज्य गोलकोंडा लिंग स्वामी (2004) 6 एस. सी. सी. 522; ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड वी. मोहम्मद. शराफुल हक (2005) 1 एस. सी. सी. 122; सनपारेडे महिधर शेषगिरी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2007) 13 एस. सी. सी. 165; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। बज्जूरी कंथैया (2009) 1 एस. सी. सी. 114; महाराष्ट्र राज्य बनाम। अरुण गुलाब गवली (2010) 9 एस. सी. सी. 701; और उड़ीसा राज्य बनाम। उज्ज्वल कुमार बर्धन (2012) 4 एस. सी. सी. 547।

3.12 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने हरियाणा राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335, जिस पर उच्च न्यायालय एफ. आई. आर./जाँच को रद्द करने में न्यायोचित होगा। उन्होंने उपरोक्त निर्णय के पैरा 60,61,102 और 103 पर भरोसा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.13 इम्तियाज़ अहमद बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 2 एस. सी. सी. 688, प्रस्तुत किया गया है।

कि जांच और मुकदमे पर रोक लगाने की शक्ति उच्च न्यायालयों को दी गई बहुत ही असाधारण शक्ति है और ऐसी शक्ति का उपयोग केवल प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

3.14 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने भी रवुरी कृष्ण मूर्ति के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा किया

3.15 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने आगे कहा है कि रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एशियन रिसर्फेसिंग के मामले में v. केंद्रीय ब्यूरो जाँच, (2018) 16 एस. सी. सी. 299, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया है कि आरोप तय करने को चुनौती देने के मामले में भी, जहाँ भी उच्च न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण के प्रयोग में रोक दी जाती है।

अधिकार क्षेत्र या अन्यथा, एक बोलने वाला आदेश पारित किया जाना चाहिए जो यह दर्शाता है कि मामला एक असाधारण प्रकृति का था। 3.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कई मामलों में यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय धारा के तहत रद्द करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करता है

482 Cr.P.C. और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत और ऐसी याचिकाओं को खारिज करते समय, अभी भी किसी विशेष अवधि के लिए या धारा 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट दायर होने तक गिरफ्तारी नहीं करने के लिए अंतरिम संरक्षण/संरक्षण प्रदान करता है।

किसी विशेष अवधि के लिए गिरफ्तारी नहीं करने के इस तरह के आदेश को धारा 482 Cr.P.C के दायरे और दायरे से बाहर कहा जा सकता है।

एक बार रद्द करने की याचिका खारिज हो जाने के बाद, आरोपी धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत और/या संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के उपाय का लाभ उठा सकता है और शर्तों को लागू करते समय और/या संतुष्ट होने पर कि अग्रिम जमानत देने की शर्तों को पूरा किया गया है, उसी पर विचार किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में तत्काल अभिरक्षा जांच की आवश्यकता होती है और गिरफ्तारी नहीं करने के इस तरह के व्यापक आदेश को देखते हुए, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की जांच करने का जांच एजेंसी/पुलिस का अधिकार छीन लिया जाएगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों और यहां तक कि मैसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. में भी माना गया है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार, पुलिस/जांच अधिकारी के पास एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की जांच करने का वैधानिक दायित्व है और

सच्चाई का पता लगाने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को खारिज करते समय ऐसा संरक्षण टिकाऊ नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के आदेशों के बावजूद आलोचना की गई है

हबीब अब्दुल्ला जिलानी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा, फिर भी उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की अवहेलना करते हुए ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं।

4. श्री दिलजीत अहलूवालिया और श्री मलक मनीष भट्ट, मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता-प्रतिवादी

नं. 2 4 ने इसमें जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और प्राथमिकी और विवाद में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, जिसे नागरिक विवाद कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या के खिलाफ "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का ऐसा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। 2 4 यहाँ मूल अभियुक्त-मूल रिट याचिकाकर्ता।

4.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा कई प्रस्तुतियाँ की गई हैं। 2 इसमें 4-मूल अभियुक्त-मूल रिट याचिकाकर्ताओं को गुण-दोष पर और उनके समर्थन में

आक्षेपित एफ. आई. आर. कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या नहीं, क्योंकि धारा 482 याचिका पर अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा लंबित कार्यवाही में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है। 4.2 प्रत्यर्थी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता। 2 इनमें से 4-मूल अभियुक्त-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है, शक्तियाँ उनके पास थीं उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बहुत व्यापक हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित भारत के संविधान की धारा 482 और/या अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय उचित होगा और इसका हकदार होगा

कार्यवाही को रद्द करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह उच्च न्यायालय [2021] 4 एस. सी. आर.

न्यायसंगत होगा और आगे की जांच पर रोक लगाने का हकदार होगा और गिरफ्तारी पर रोक लगाने और/या "कोई दंडात्मक उपाय नहीं किए जाने" का अंतरिम आदेश भी देगा।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्नाटक राज्य के मामले में v. एल. मुनिस्वामी, (1977) 2 एससीसी 699, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों में एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो यह है कि अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि न्यायालय का प्रथम दृष्टया मानना है कि प्राथमिकी के अनुसार आगे की जांच या कार्यवाही के कारण होने की संभावना है याचिकाकर्ता को अनुचित और अनुचित उत्पीड़न, न्यायालय अभियुक्त के पक्ष में "कोई दंडात्मक उपाय नहीं" का आदेश दे सकता है।

4.5 यह आगे प्रत्यर्थी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2 इसमें 4-मूल अभियुक्त-मूल रिट याचिकाकर्ताओं के लिए कि धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रद्द याचिका में अंतरिम रोक/अंतरिम राहत देने की शक्तियां आदेश XXXIX नियम 1 सीपीसी के तहत दीवानी अदालत की शक्तियों के समान हैं, अर्थात्, प्रथम दृष्टया मामला; सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्राथमिकी के परिणामस्वरूप पुलिस को जांच से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा को सुविधा के संतुलन, अपूरणीय क्षति और प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। 4.6 इम्तियाज अहमद (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय का प्राधिकरण प्राथमिकी दर्ज करने या मुकदमे के अनुसार जांच पर रोक लगाने का आदेश देता है।

योग्य मामले निर्विवाद हैं। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ताओं ने

निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया कि जहां भी रोक दी जाती है, एक बोलने का आदेश पारित किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि मामला एक असाधारण प्रकृति का है।

4.7 विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्राथमिकी/शिकायत के अनुसार शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही कुछ भी नहीं है

लेकिन विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग और/या उसका दुरुपयोग पूरी तरह से अधिकारिता के बिना है या जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कथित अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है या जहां प्राथमिकी/शिकायत में आरोप भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, तो यह कथित अपराध का गठन

नहीं करता है और इस न्यायालय द्वारा भजन लाल (उपरोक्त) के मामलों में उल्लिखित आधारों पर बनाया जा रहा असाधारण मामला नहीं है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

आर. पी. कपूर (ऊपर); और ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड (ऊपर), संक्षिप्त कारण बताते हुए, उच्च न्यायालय एक अंतरिम आदेश के माध्यम से आगे की जांच पर रोक लगाने में भी उचित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही का दुरुपयोग अज्ञात नहीं है और आपराधिक कानून

इसे निश्चित रूप से एक मामले के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और इसलिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को छीनना व्यापक सार्वजनिक हित में भी नहीं होगा।

4.8 राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर, (2013) 3 एस. सी. सी. 330 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को उक्त निर्णय के पैरा 30 में उल्लिखित चरणबद्ध जांच करने की आवश्यकता है और यदि सभी कदमों का जवाब सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन आधारों पर धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, उसी आधार को आगे की रोक देते समय लागू किया जा सकता है।

जांच, धारा 482 Cr.P.C के तहत रद्द करने की याचिका लंबित है।

4.9 उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ताओं ने भरोसा किया है

इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्णयों पर। मोहम्मद नईम एयर 1964 एससी 703; एल. मुनिस्वामी

(ऊपर); आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। गौरीशेट्टी महेश (2010) 11 एस. सी. सी. 226; विजेता गजरा बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2010) 11 एस. सी. सी. 618; राजीव थापर (ऊपर); महाराष्ट्र राज्य बनाम। संजय डालमिया,

(2015) 17 एस. सी. सी. 539; अमीश देवगन बनाम। भारत संघ, (2021) 1 एस. सी. सी. 1; गंगा राम अस्पताल बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय।

राज्य दिनांकित CRL.M.A में 22.06.2020. नहीं. W. P. में 7661/2020। (सीआरएल।) नं. 921/2020; नूर ताकी उपनाम मम्मू बनाम में राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय। राजस्थान राज्य दिनांक 26.02.1986 ए. आई. आर. 1987 आर. ए. जे. 52; और मधुखर पुरुषोत्तम मोंडकर बनाम में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय। तालाब हाजी हुसैन दिनांक 14.01.1958 AIR 1958 BOM 406।

5. हमने संबंधित पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है

लंबे समय तक पार्टियाँ।

6. मुख्य मुद्दा जो उत्पन्न होता है वह यह है कि उच्च न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने में या तो रोक लगाने में कब और कहाँ उचित ठहराया जाएगा एफ. आई. आर./शिकायत या अंतरिम आदेश में आगे की जांच "कोई दंडात्मक कदम नहीं" और/या आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने की प्रकृति में या तो लंबित [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा या धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच।

226 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित भारत के संविधान का?

7. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने के लिए शक्तियों के प्रयोग पर कानून और धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्तियों और दायरे और दायरे के प्रयोग के लिए मापदंड। और/या अनुच्छेद के तहत

226 एफ. आई. आर. को निरस्त करते समय भारत के संविधान के जिन मापदंडों को लागू करने की आवश्यकता है, उन्हें अंतरिम रोक/संरक्षण देते समय भी लागू किया जाना चाहिए।

7.1 आर. पी. कपूर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस मुद्दे पर पहला मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि पूर्ववर्ती संहिता की धारा 561-ए (जो संहिता की धारा 482 के साथ समान सामग्री है) के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से निपटने के लिए, यह देखा जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि पूर्ववर्ती संहिता की धारा 561 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग संहिता के अन्य प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से शामिल मामलों के संबंध में नहीं किया जा सकता है; उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग किसी उचित मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए; आमतौर पर एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए, और उच्च न्यायालय एक अंतर्वर्ती चरण में उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। इसके बाद

यह देखते हुए, इसके बाद इस न्यायालय ने उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद बनाए, जो इस प्रकार हैं:

" (i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही की संस्था या निरंतरता के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है।

कथित अपराध का सम्मान। अपेक्षित मंजूरी की अनुपस्थिति

उदाहरण के लिए, इस श्रेणी के तहत मामले प्रस्तुत कर सकते हैं। ((ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो।

और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है, अपराध नहीं है

आरोप लगाया गया; ऐसे मामलों में साक्षय की सराहना करने का कोई सवाल ही नहीं है। उत्पन्न होता है; यह केवल शिकायत को देखने का मामला है या

यह तय करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट कि क्या अपराध का आरोप लगाया गया है

प्रकट किया जाता है या नहीं।

((ग) जहाँ अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हों।

एक कथित अपराध है लेकिन या तो कोई कानूनी नहीं है

मामले के समर्थन में प्रस्तुत साक्षय या स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत साक्षय आरोप को साबित करने में विफल रहता है। इस वर्ग के मामलों से निपटने में ऐसे मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां सबूत है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से आरोप के साथ असंगत है।

किए गए और ऐसे मामले जहां कानूनी साक्षय है जो इसके आधार पर

प्रशंसा प्रश्नगत आरोप का समर्थन कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। धारा 561-ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय

के खिलाफ लगाए गए आरोप के साक्षय की सराहना अभियुक्त को कायम नहीं रखा जाएगा। "

7.2 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित शक्तियां हैं।

उच्च न्यायालय को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है; कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में संयम से किया जाना चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा वार्डन के माध्यम से दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया और वह भी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किए बिना, धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एफ. आई. आर. को रद्द करना उचित नहीं था जब पुलिस ने विश्वविद्यालय के वार्डन द्वारा दायर शिकायत की जांच भी शुरू नहीं की थी और एफ. आई. आर. के अनुसरण में किसी भी अदालत के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

7.3 इसके बाद भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का प्रसिद्ध निर्णय आता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विचार किया

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे का विवरण दें और कई न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा कि उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए और जांच एजेंसी को अपना कार्य पूरा करने की अनुमति दिए बिना कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए। साथ ही, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों की पहचान की जिसमें एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द किया जा सकता है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 102. (1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किए जाने से प्रथम दृष्टया कोई गठन नहीं होता है

अपराध करना या अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाना। (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक का खुलासा नहीं करते हैं

संज्ञेय अपराध, पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराना

संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता की धारा 156 (1) के तहत।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्षय किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और एक मामला बनाते हैं।

अभियुक्त के खिलाफ।

(4) जहाँ एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं है, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है, वहाँ एक पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं है। संहिता की धारा 155 (2) के तहत अनुध्यात मजिस्ट्रेट का।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप हैं

इतना बेतुका और स्वाभाविक रूप से असंभव जिसके आधार पर नहीं

बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एक उचित निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि वहाँ है

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी रोक लगी हुई है (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही स्थापित की जाती है) संस्था को और कार्यवाही जारी रखने के लिए और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसके लिए प्रभावी निवारण प्रदान किया जाता है।

पीड़ित पक्ष की शिकायत।

(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की जाती है।

अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से।

7.4 गोलकोंडा लिंगास्वामी (ऊपर) के मामले में,

आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों और अनुच्छेद 5,7 में धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग पर अन्य निर्णयों पर विचार करना।

और 8, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:

नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 5. इस प्रकृति के मामले में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है न कि नियम। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो न्यायालय के समक्ष थी

संहिता को लागू करना। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्: ((i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा इसके उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

न्याय। अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले किसी भी लचीले नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम उन सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, न्यायालयों के पास कानून के व्यक्त प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यही वह सिद्धांत है जो उस खंड में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है और संरक्षित करता है

उच्च न्यायालय। सभी न्यायालयों, चाहे वे दीवानी हों या आपराधिक, के पास किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, जो उनके संविधान में निहित है, ऐसी सभी शक्तियां हैं जो न्याय के प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं। (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है, तो वह उसे वह देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता)। शक्तियों का प्रयोग करते समय

धारा के तहत, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का अभ्यास धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इसका प्रयोग वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए केवल अदालतें मौजूद हैं। न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत या निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत [2021] 4 एस. सी. आर. के प्रश्न की जांच कर सकती है।

तथ्य। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता के पास क्या है, इसका आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है।

आरोप लगाया गया है और क्या कोई अपराध बनाया गया है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।

7. अंतिम श्रेणी से निपटने में, उस मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है

या जहाँ सबूत है जो स्पष्ट रूप से असंगत है लगाए गए आरोप, और एक मामला जहां कानूनी साक्षय है, जो प्रशंसा पर, आरोपों का समर्थन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। कब

संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या विचाराधीन साक्षय विश्वसनीय है या नहीं या क्या इसके उचित मूल्यांकन पर आरोप कायम नहीं रहेगा। वह यह है कि

विचारण न्यायाधीशक कार्य। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध शुरू करने के लिए एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन होगा। साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन को शॉर्ट-सर्किट करने और उसकी अचानक मृत्यु लाने के लिए सौंपा गया साधन नहीं है। 8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास बहुत व्यापक और बहुत अधिक शक्तियां हैं।

अधिक तब जब साक्षय एकत्र नहीं किए गए हैं और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, विशाल हैं और पर्याप्त सामग्री के बिना उनके सही परिप्रेक्षय में नहीं देखे जा सकते हैं। बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय करेगा। किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। [जनता दल बनाम देखें। एच. एस. चौधरी (1992) 4 एस. सी. सी. 305: 1993 एससीसी (सीआरआई) 36: ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 892] और रघुबीर सरन नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

(डॉ.) वी. बिहार राज्य [ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1: (1964) 1 क्रि एलजे 1]। उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सभी संभावनाओं के आलोक में शिकायतकर्ता के मामले का विश्लेषण करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या दोषसिद्धि स्थायी होगी और ऐसे परिसरों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यवाही को रद्द किया जाना है। उसके समक्ष सामग्री का आकलन करना और यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग

कार्यवाही केवल उस मामले में बुलाई जाती है जहां शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, परेशान करने वाली या परेशान करने वाली है।

दमनकारी। यदि शिकायत में आरोप नहीं लगाए गए हैं

जिस अपराध का मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, वह उच्च न्यायालय के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि मुकदमे से पहले मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या बरी। शिकायत/एफ़. आई. आर. को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की शपथ पर दिए गए बयान के आलोक में आरोपों पर विचार करने पर या प्राथमिकी में खुलासा किया गया है कि अपराध या अपराध के तत्व हैं खुलासा किया गया और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शिकायत/एफ़. आई. आर. दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या परेशान करने वाली है, उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं होगा। जब एक

पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज की जाती है और एक अपराध है

पंजीकृत, तब सूचना देने वाले की दुर्भावना होगी

द्वितीयक महत्व। यह उस दौरान एकत्र की गई सामग्री है

अदालत में जांच और साक्षय दिए जाते हैं जो आरोपी व्यक्ति के भाग्य का फैसला करते हैं। सूचना देने वाले के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों का कोई परिणाम नहीं है और यह अपने आप में नहीं हो सकता है।

कार्यवाही को रद्द करने का आधार "।

7.5 ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड (ऊपर), रैग्राफ 11 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:

" 11. ..... धारा के तहत उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ 482 संहिता बहुत व्यापक है और शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके अभ्यास में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। न्यायालय को यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर

आधारित है। अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय [2021] 4 एस. सी. आर. का सर्वोच्च न्यायालय है।

एक राज्य को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां पूरे तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं, विशेष रूप से तब जब साक्षय एकत्र नहीं किए गए हैं और पहले पेश नहीं किए गए हैं। अदालत और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, बड़े पैमाने पर हैं और बिना इसके उनके सही परिप्रेक्षय में नहीं देखे जा सकते हैं।

पर्याप्त सामग्री। बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सभी संभावनाओं के आलोक में शिकायतकर्ता के मामले का विश्लेषण करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या दोषसिद्धि स्थायी होगी और ऐसे आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यवाही को रद्द किया जाना है। उसके समक्ष सामग्री का आकलन करना और यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उस मामले में किया जाता है जहां शिकायत की जाती है।

किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करता है या तुच्छ, परेशान करने वाला या

दमनकारी। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि मुकदमे से पहले मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या बरी। शिकायत को पूरी तरह से पढ़ना होगा। यदि यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता के शपथ पर दिए गए बयान के आलोक में आरोपों पर विचार करने पर कि अपराध या अपराध के तत्वों का खुलासा किया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या परेशान करने वाली है, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होगा। जब पुलिस थाने में कोई सूचना दर्ज की जाती है और कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो सूचना देने वाले की दुर्भावना गौण महत्व की होगी। यह जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अदालत में पेश किए गए साक्षय हैं जो अभियुक्त व्यक्ति के भाग्य का फैसला करते हैं। सूचना देने वाले के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों का कोई परिणाम नहीं है और यह अपने आप में नहीं हो सकता है। कार्यवाही को रद्द करने का आधार बनें।

7.6 सानापारेड्डी महिधर शेषगिरी (ऊपर), ग्राफ 31 के मामले में, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:

नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 31. परित्यक्त निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से

यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और

आपराधिक मामलों की जांच और/या मुकदमे में हस्तक्षेप करने में देरी करना और जांच और/या अभियोजन को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि यह किसी भी तरह के संदेह से परे आश्वस्त न हो कि एफ. आई. आर.

किसी भी अपराध के होने या आरोपों का खुलासा नहीं करना

एफ. आई. आर. में निहित कोई संज्ञेय अपराध नहीं है या कि अभियोजन कानून द्वारा वर्जित है या उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। ऐसे मामलों से निपटने में, उच्च न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अपराध करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया की दहलीज पर न्यायिक हस्तक्षेप व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक है। लोगों और समाज को एक वैध अपेक्षा है कि किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ अपराध करने वालों पर शीघ्रता से मुकदमा चलाया जाए और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त सजा दी जाए। इसलिए,

एफ. आई. आर. या शिकायत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर निर्णय लेते समय या

सक्षम प्राधिकारी को जाँच करने से रोकना

एफ. आई. आर. या शिकायत में निहित या मुकदमे को रोकने के आरोप

मामले में, उच्च न्यायालय को बेहद सावधान रहना चाहिए और

सावधानी बरतें। यदि आरोप एफ. आई. आर. या शिकायत में निहित हैं किसी अपराध के होने का खुलासा करें, तो उच्च न्यायालय को अपने हाथ बंद रखने चाहिए और जांच एजेंसी को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए

बिना किसी बाधा के जाँच करना और ऐसा आदेश पारित करने से भी बचना जो मुकदमे में बाधा डाल सकता है। उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण और अवगुणों में केवल इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता प्राथमिकी के लेखक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण द्वेष का आरोप लगाता है या

शिकायतकर्ता। उच्च न्यायालय को भी ऐसा करने से बचना चाहिए

संभावित उत्पीड़न के दायरे में काल्पनिक यात्रा जो प्राथमिकी या शिकायत की जांच के कारण याचिकाकर्ता को हो सकती है। इस तरह के पाठ्यक्रम के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी और अपराध करने के अभियुक्तों को इसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि शिकायत

किसी भी अपराध या अभियोजन के होने का खुलासा नहीं करता है

सीमा द्वारा वर्जित या कि आपराधिक मामले की कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, तो यह अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत "।

7.7 अरुण गुलाब गवली (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने आपराधिक शिकायत/[2021] 4 एस. सी. आर. को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्धारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ़. आई. आर. जो शिकायतकर्ता द्वारा भी दर्ज की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष एफ. आई. आर. को रद्द करने का अनुरोध स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा किया गया था और उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द कर दिया। एफ. आई. आर. को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 और 27 से 29 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 13. आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए

विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में पूछताछ शुरू करना या एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोपों का अन्यथा, जब तक कि

आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि

कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। द.

न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ एक प्रदान नहीं करती हैं न्यायालय पर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र या

एक अनावश्यक चरण में हस्तक्षेप करें और न ही यह पाठ्यक्रम को नरम-पैडल कर सकता है। न्याय का "जाँच/कार्यवाही के एक महत्वपूर्ण चरण में। द.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226,227 के प्रावधान और

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद)

"सी. आर. पी. सी".. के रूप में जाना जाता है) न्याय को आगे बढ़ाने का एक उपकरण है न कि

इसे हतोत्साहित करें। हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति विवेकाधीन है,

न्याय का प्रशासन स्वच्छ और शुद्ध रहता है। हालांकि, वहाँ न्यायालय की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी,

इन्हें लागू करने में अधिक सावधानी और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

शक्तियाँ। (स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. वी. स्वपन कुमार गुहा [(1982) 1

एससीसी 561: 1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 283: ए. आई. आर 1982 एस. सी. 949], पेप्सी फूड्स

लिमिटेड वी. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [(1998) 5 एस. सी. सी. 749: 1998

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1400], जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2000) 2 एससीसी 636 : 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 513: AIR 2000 SC 754] और अजय

मित्रा वी। एम. पी. राज्य [(2003) 3 एस. सी. सी. 11: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 703)

XXX

XXX

XXX

27. उच्च न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि

शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत का समर्थन नहीं कर रहा था, वह करेगा

अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है और कोई नहीं होगा

दोषसिद्धि की संभावना, इस प्रकार मुकदमा अपने आप में एक व्यर्थ अभ्यास होगा।

नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

इस तरह के आधार पर प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। आम तौर पर, सत्र न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत किसी आरोपी को पहले ही आरोपमुक्त करने का अधिकार है

किसी आदेश का विश्लेषण करने और उसे पारित करने की स्थिति क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए सभी शक्तियां और सामग्री है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे मामले में अभियोजन को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करें। उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामों पर निर्भरता एक मुकदमे के भाग्य पर निर्णय के लिए एक कमजोर, अस्पष्ट और अविश्वसनीय स्रोत होगा। यह धारणा कि एक आरोपी को उपलब्ध सामग्री पर कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बहुत जोखिम भरा प्रस्ताव है जिसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से जघन्य अपराधों में।

जबरन वसूली की तरह।

28. शिकायतकर्ता द्वारा किए गए इनकार पर आधारित दावा

मुकदमा शुरू होने से पहले एक आरोप के साथ कि

पुलिस ने झूठी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजबूर किया था, यह एक ऐसा मामला है जिसकी आगे की जांच की आवश्यकता है क्योंकि पुलिस के खिलाफ आरोप लगाया गया है। यदि अभियोजन पक्ष को रद्द कर दिया जाता है, तो न तो निचली अदालत और न ही जांच एजेंसी के पास इस प्रश्न में जाने का कोई अवसर है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। राज्य है अभियोजक और सभी अभियोजन राज्य की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। किया गया अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और

अकेले पीड़ित के खिलाफ नहीं। अभियुक्त के अनुचित दबाव या प्रभाव में या किसी भी धमकी या मजबूरी में पीड़ित

लेकिन यह राज्य को अभियुक्त को कानून के दायरे में लाने से मुक्त नहीं करेगा, जिसने अपराध किया है और देश के कानून का उल्लंघन किया है।

29. इस प्रकार, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को अभियोजन को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा -

एक ऐसा अपराध जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित और प्रभावित करता है। यह एक ऐसा मामला होना चाहिए जिसमें कोई अन्य दृष्टिकोण संभव न हो और न ही आगे किसी जांच या जांच की आवश्यकता हो। कानून का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है, ताकि इसके अभ्यास के लिए एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र के रूप में फिट हो सके

ऐसी शक्ति। प्रत्येक मामले का निर्णय उसकी योग्यता और ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, यह नागरिक प्रकृति का मामला नहीं था जहां समझौता करने या किसी ऐसे अपराध को शामिल करने की संभावना हो सकती है जो शमनीय हो सकता है [2021] 4 एस. सी. आर.

सी. आर. पी. सी. की धारा 320 के तहत, जहां न्यायालय माधवराव जीवाजीराव सिंधिया [(1988) 1 एस. सी. सी. 692 का अनुपात लागू कर सकता है: 1988 एससीसी

(क्रि) 234: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 709] ”

7.8 इसके बाद निर्णयों में, इस न्यायालय ने एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने के मामले में भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के मानदंडों को दोहराया है।

8. शामिल मुद्दे पर विचार करते समय, संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस के अधिकारों और कर्तव्यों की भी आवश्यकता होती है

विचार किया।

8.1 संज्ञेय अपराधों की जाँच की शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित हैं। धारा 154 संज्ञेय अपराध में जानकारी से संबंधित है और धारा 156 ऐसे अपराध की जांच से संबंधित है और इन धाराओं के तहत पुलिस को किसी भी कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की जांच करने का वैधानिक अधिकार है।

8.2 ख्वाजा नजीर अहमद (उपरोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि भारत में, न्यायिक अधिकारियों से किसी भी अधिकार की आवश्यकता के बिना कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की जांच करने का पुलिस की ओर से एक वैधानिक अधिकार है। यह आगे देखा जाता है

कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा यदि न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करके उन वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना संभव माना जाए। यह आगे देखा गया है कि न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, अतिव्यापी नहीं हैं, और कानून और व्यवस्था के उचित पालन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संयोजन केवल प्रत्येक को अपने स्वयं के कार्य का प्रयोग करने के लिए छोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है।

9.1 बिहार राज्य के मामले में v. जे. ए. सी. सल्दान्हा, (1980) 1 एस. सी. सी. 554, इस न्यायालय ने, उदाहरण सहित, ख्वाजा नजीर अहमद (ऊपर) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने पैराग्राफ 25 और 26 में कहा है:

नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 25. अपराध का पता लगाने और अपराध की सजा के क्षेत्र में गतिविधि का एक स्पष्ट और अच्छी तरह से सीमांकित क्षेत्र है।

अपराध की जाँच करना और अपराधी को कानून के दायरे में लाना इसका बाध्य कर्तव्य है। एक बार जब वह जाँच करता है और पाता है कि कोई अपराध किया गया है तो अपराध को साबित करने के उद्देश्य से सबूत एकत्र करना उसका कर्तव्य है। एक बार जब यह पूरा हो जाता है और जांच अधिकारी अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अदालत से धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अनुरोध करता है। संहिता का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। अदालत द्वारा किए जा रहे अपराध का संज्ञान लेने पर धारा 173 (8) में निहित प्रावधान के अधीन जांच का पुलिस कार्य समाप्त हो जाता है, वहां यह निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका का न्यायिक कार्य शुरू हो जाता है कि क्या कोई अपराध किया गया है और यदि ऐसा है, तो क्या पुलिस द्वारा अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अदालत को अपनी रिपोर्ट में, और अदालत की संतुष्टि के लिए साबित किए गए अपराध के लिए कानून के अनुसार पर्याप्त सजा देना। इस प्रकार अपराध का पता लगाने और उसके बाद के निर्णय के क्षेत्र में एक अच्छी तरह से परिभाषित और अच्छी तरह से सीमांकित कार्य है।

पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच। इसे बहुत पहले राजा सम्राट वी में मान्यता दी गई थी। ख्वाजा नजीर अहमद [ए. आई. आर. 1944 पी. सी. 18: 1944 एल. आर. 71 आई. ए. 203,213] जहाँ प्रिवी काउंसिल ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

" भारत में, जैसा कि दिखाया गया है, पुलिस की ओर से परिस्थितियों की जांच करने का एक वैधानिक अधिकार है

न्यायिक अधिकारियों से किसी भी अधिकार की आवश्यकता के बिना कथित संज्ञेय अपराध और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा, जैसा कि उनके लॉर्डशिप्स सोचते हैं, अगर अंतर्निहित नियमों का प्रयोग करके उन वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना संभव माना जाना चाहिए।

न्यायालय की अधिकारिता। न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं, और संयोजन

कानून और व्यवस्था के उचित पालन के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल प्रत्येक को अपने स्वयं के कार्य का प्रयोग करने के लिए छोड़ने से प्राप्त की जा सकती है, हमेशा, निश्चित रूप से, अदालत के अधिकार के अधीन जब [2021] 4 एस. सी. आर. की धारा 491 के तहत स्थानांतरित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता। हालाँकि, वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय के कार्य तब शुरू होते हैं जब उसके समक्ष आरोप लगाया जाता है, और तब तक नहीं।

एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस को आम तौर पर न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एस. एम. शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया। बिपिन कुमार तिवारी (1970) 1 एस. सी. सी. 653:

" यह हमें प्रतीत होता है कि, हालांकि आपराधिक संहिता

प्रक्रिया पुलिस को उन सभी मामलों की जांच करने की निरंकुश शक्ति देती है जहां उन्हें संदेह होता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, उपयुक्त मामलों में एक पीड़ित व्यक्ति हमेशा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का उपयोग करके उपचार की मांग कर सकता है, जिसके तहत, यदि उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया जा सकता है कि जांच की शक्ति का प्रयोग एक पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, तो उच्च न्यायालय हमेशा पुलिस अधिकारी को रोकने के लिए अनिवार्य रिट जारी कर सकता है।

अपनी कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करना।

9.2 भारत संघ के मामले में v. प्रकाश पी. हिंदुजा, (2003) 6 एस. सी. सी. 195, पैराग्राफ 20 में, इसे निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

" 20. इस प्रकार कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और न्यायिक अधिकारियों द्वारा यह भी तय किया गया है कि अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जांच के साथ या जांच के दौरान जिसका अर्थ होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय से लेकर सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत अदालत में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट जमा करने तक, यह क्षेत्र विशेष रूप से जांच एजेंसी के लिए आरक्षित है।

9.3 भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप होगा

परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराध की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि एक नियमित मामले में जहां किसी अपराध या मैसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. की जानकारी दी जाती है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

अपराध दर्ज किए गए हैं, जांच शुरू की गई है, तलाशी और जब्ती का पालन किया गया है और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, मौखिक आवेदनों और मौखिक अपीलों की असामान्य प्रक्रिया का सहारा लेना और उस पर अंतरिम स्थगन आदेश का प्रभाव Cr.P.C के तहत वैधानिक कर्तव्य का पालन करने वाले जांच अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच में हस्तक्षेप करने और रोक लगाने का होगा।

9.4 उज्ज्वल कुमार बर्धन (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक जांच के प्रभारी लोगों के खिलाफ शक्ति के घोर दुरुपयोग का मामला नहीं बनता है, तब तक उच्च न्यायालय को जांच के प्रारंभिक/समय से पहले चरण में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।

9.5 सतविंदर कौर बनाम के मामले में। राज्य (सरकार। एन. सी. टी. का

दिल्ली), (1999) 8 एस. सी. सी. 728, पैराग्राफ 14 से 16 में, इसे निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

" 14. इसके अलावा, कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि यदि कोई अपराध है

यह खुलासा किया जाता है कि अदालत आम तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी

मामले की जाँच की जाएगी और जाँच की अनुमति दी जाएगी

अपराध को पूरा करने का आरोप। यदि प्राथमिकी, प्रथम दृष्टया, किसी अपराध के होने का खुलासा करती है, तो अदालत आम तौर पर नहीं रुकती है। जाँच, क्योंकि, ऐसा करना संज्ञेय अपराधों की जाँच करने के लिए पुलिस की विधिसम्मत शक्ति को कम करना होगा। [राज्य डब्ल्यू. बी. वी. स्वपन कुमार गुहा (1982) 1 एस. सी. सी. 561: 1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 283] यह भी इस न्यायालय के निर्णयों के एक लंबे पाठ्यक्रम द्वारा तय किया जाता है कि धारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से

482 सी. आर. पी. सी. किसी एफ. आई. आर. या शिकायत को रद्द करने के लिए, उच्च न्यायालय को शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसी के साथ दिए गए दस्तावेजों के आधार पर पूरी तरह से आगे बढ़ना होगा; उसके पास आरोपों की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। [प्रतिभा रानी बनाम। सूरज कुमार (1985) 2 एस. सी. सी. 370,395: 1985 एससीसी (सीआरआई) 180]

15. इसलिए, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिबद्ध किया

प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार करने में एक गंभीर त्रुटि कि

जाँच अधिकारी के पास इस कथित आधार पर मामलों की जाँच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि अपराध का कोई हिस्सा नहीं किया गया था

दिल्ली पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर। द.

साक्षय की सराहना करना न्यायालयों का कार्य है जब मामले को जब्त कर लिया। जाँच के स्तर पर, एक जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री की न्यायिक जाँच नहीं की जा सकती है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि [2021] 4 एस. सी. आर. का पुलिस थाना अधिकारी।

विशेष पुलिस स्टेशन के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। किसी भी मामले में, यह कहा जाना चाहिए कि धारा 178 (सी) को ध्यान में रखते हुए

दंड प्रक्रिया संहिता, जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में कोई अपराध किया गया था, या जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, तो उक्त अपराध की जांच या मुकदमा ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, जांच के स्तर पर यह कहना कि एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार, नई दिल्ली का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था, अवैध और गलत है। इसके अलावा, धारा 156 (2) में एक प्रतिबंध है कि किसी पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसके पास जांच करने की कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने कथित प्रतिबंध की पूरी तरह से अनदेखी की है जब उसने प्रत्यर्थी 2 की याचिका पर क्षेत्रीय अधिकार की कमी के आधार पर विचार किया था।

अधिकार क्षेत्र।

16. अंत में, यह दोहराया जाना आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय

जाँच को रद्द करने के लिए, अदालत को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या केरल राज्य बनाम में देखा गया है। ओ. सी. कुट्टन [(1999) 2 एससीसी 651: 1999 एससीसी (सीआरआई) 304: जे. टी. (1999) 1 एस. सी. 486] निम्नलिखित प्रभावः (एससीसी पीपी। 654-55 , पैरा 6)

" ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने सावधानी का एक नोट दिया

प्रभाव है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति

सावधानीपूर्वक बहुत संयम से व्यायाम किया जाना चाहिए और

वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि न्यायालय एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करने में उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि पहले

सूचना रिपोर्ट केवल तंत्र को स्थानांतरित करने और एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए एक पहल है और इसलिए,

शक्ति का प्रयोग करते हुए और यह तय करते हुए कि क्या

जाँच को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए, अदालत द्वारा अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और उस स्तर पर, अदालत के लिए सामग्री की छान-बीन करना या सामग्री का वजन करना संभव नहीं है और फिर

किसी न किसी तरह से निष्कर्ष पर पहुँचें। मामले में

यू. पी. राज्य बनाम ओ. पी. शर्मा [(1996) 7 एस. सी. सी. 705 1996 नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 497: जे. टी. (1996) 2 एस. सी. 488] इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संकेत दिया कि उच्च न्यायालय को इससे घृणा करनी चाहिए

धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने वाले अभियोजन को विफल करने के लिए सीमा पर हस्तक्षेप करना और

227 भारत के संविधान, जैसा भी मामला हो, और कानून को अपना काम करने की अनुमति देता है। रश्मि कुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने भी यही विचार दोहराया था। महेश कुमार बड़ा [(1997) 2 एस. सी. सी. 397: 1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 415: जे. टी. (1996) 11 एस. सी. 175] जहाँ इस न्यायालय ने सावधानी का एक शब्द सुना और कहा कि ऐसी शक्ति

संयम और सावधानी से केवल तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब अदालत की राय हो कि अन्यथा सकल होगा

न्याय की विफलता। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सामाजिक

अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करके स्थिरता और व्यवस्था को विनियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह समाज के खिलाफ एक अपराध है।

पूरा "।

9.6 सुपदी के मामले में। पुलिस, सी. बी. आई. बनाम। तपन कुमार सिंह, 3) 6 एस. सी. सी. 175 और यू. पी. राज्य के मामले में बनाम। नरेश, (2011) सी 324, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि एफ. आई. आर. एक क्लोपीडिया नहीं है, जिसे सी. ई. रिपोर्ट से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। (क) तपन कुमार सिंह के मामले में अनुच्छेद 20 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:

20. यह अच्छी तरह से तय है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एक नहीं है

विश्वकोश, जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। एक सूचना देने वाला इसके बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करा सकता है

अपराध करना यद्यपि वह पीड़ित या उसके हमलावर का नाम नहीं जानता हो। हो सकता है उसे यह भी पता न हो कि यह घटना कैसे हुई। प्रथम सूचना देने वाले की आवश्यकता नहीं है

एक प्रत्यक्षदर्शी ताकि सभी पहलुओं को बहुत विस्तार से प्रकट करने में सक्षम हो

किए गए अपराध का। महत्वपूर्ण बात यह है कि

दी गई जानकारी को एक संज्ञेय आयोग का खुलासा करना चाहिए

अपराध और इस प्रकार दर्ज की गई जानकारी के लिए एक आधार प्रदान करना चाहिए एक संज्ञेय के आयोग पर संदेह करने के लिए पुलिस अधिकारी

अपराध। इस स्तर पर यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर एक संज्ञेय अपराध के होने का संदेह है, और यह नहीं कि उसे आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि

संज्ञेय अपराध किया गया है। अगर उसके पास कारण हैं

संदिग्ध, प्राप्त जानकारी के आधार पर, कि एक संज्ञेय [2021] 4 एस. सी. आर.

हो सकता है कि अपराध किया गया हो, वह जानकारी दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह जानकारी की सच्चाई के बारे में खुद को संतुष्ट करे। यह एक पूर्ण जांच के बाद ही है कि वह सच्चाई या अन्यथा पर रिपोर्ट करने में सक्षम हो सकता है

जानकारी दी। इसी तरह, भले ही जानकारी सभी विवरण प्रदान नहीं करती है, उसे इस दौरान उन विवरणों का पता लगाना चाहिए।

जाँच करें और सभी आवश्यक साक्षय एकत्र करें। किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हुए दी गई जानकारी केवल सभी आवश्यक साक्षय एकत्र करने और उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई करने की दृष्टि से जांच तंत्र को सक्रिय करती है। कानून के साथ। सही परीक्षण यह है कि क्या प्रस्तुत की गई जानकारी किसी अपराध के होने पर संदेह करने का कारण प्रदान करती है, जिसकी जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को संहिता की धारा 156 के तहत अधिकार दिया गया है। यदि ऐसा होता है, तो उसके पास जानकारी दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए या तो स्वयं या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को जांच करने के लिए नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह सवाल कि क्या रिपोर्ट सच है, क्या यह घटना के तरीके के बारे में पूर्ण विवरण का खुलासा करती है, क्या आरोपी का नाम लिया गया है, और क्या आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, ये सभी ऐसे मामले हैं जो अलग-अलग हैं।

इस प्रश्न पर विचार करना कि क्या रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। भले ही जानकारी इन मामलों के बारे में पूरा विवरण नहीं देती है, जांच अधिकारी मामले की जांच करने और यदि वह कर सकता है तो सही तथ्यों का पता लगाने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है।

9.7 प्रकाश पी. हिंदुजा (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जाँच या जाँच के दौरान जिसका अर्थ होगा

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय से लेकर धारा 173 (2) Cr.P.C के तहत अदालत में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट जमा करने तक, यह क्षेत्र विशेष रूप से जांच एजेंसी के लिए आरक्षित है।

9.8 पी. चिदंबरम बनाम के मामले में। निदेशालय

प्रवर्तन, (2019) 9 एस. सी. सी. 24, इस न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए जांच एजेंसी की शक्तियों पर विचार करते हुए, पैराग्राफ 61,64 से 67 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

" 61. संज्ञेय अपराध की जाँच और अभियुक्त से पूछताछ सहित उसके विभिन्न चरणों की जाँच विशेष रूप से जाँच एजेंसी के लिए आरक्षित है जिसकी शक्तियाँ

जब तक जांच अधिकारी कानून के प्रावधानों और कानूनी सीमाओं के भीतर अपनी जांच शक्तियों का अच्छी तरह से प्रयोग करता है, तब तक वे स्वतंत्र हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और उचित निर्देश तभी जारी कर सकता है जब न्यायालय आश्वस्त हो कि जांच की शक्ति

अधिकारी का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है या जहां शक्ति का दुरुपयोग होता है और आपराधिक संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है

प्रक्रिया। हालांकि, निर्देश जारी करने और जांच में हस्तक्षेप करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने की इस शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में किया जाता है जहां प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है या नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन।

XXX

XXX

XXX

64. अपराधों की जाँच पुलिस का विशेषाधिकार है और दुर्लभ मामलों को छोड़कर, न्यायपालिका को सभी मामलों से बाहर रहना चाहिए।

जाँच के क्षेत्र। बिहार राज्य में v. पी. पी. शर्मा [बिहार राज्य बनाम। पी. पी. शर्मा, 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 222: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 192], यह अभिनिर्धारित किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 258, पैरा 47)

" 47. ..... जाँच अधिकारी कानून की एक शाखा है और आपराधिक न्याय के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ..... पर्याप्त शक्ति है

इसलिए जाँच प्रक्रिया के क्षेत्र में पुलिस अधिकारी को दिया जाता है और उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अदालत का अधिकार दिया जाता है।

एक सफल जाँच करने के लिए विवेकाधीन शक्ति "।

65. दुखिष्यम बेनुपानी बनाम। अरुण कुमार बाजोरिया [दुखिष्यम बेनुपानी बनाम। अरुण कुमार बाजोरिया (1998) 1 एस. सी. सी. 52: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 261], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: (एस. सी. सी पी. 55, पैरा 7)

" 7. ..... जांच प्रक्रियाओं की निगरानी करना अदालत का काम नहीं है जब तक कि ऐसी जांच नहीं होती है।

कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना। इसे छोड़ देना चाहिए

जाँच एजेंसी स्थल, समय और प्रश्न और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों से इस तरह के प्रश्न पूछने का तरीका तय करेगी। एक कंबल आदेश पूरी तरह से एक इन्सुलेट

गिरफ्तारी से व्यक्ति अपनी पूछताछ को केवल एक पूछताछ बना देगा।

अनुष्ठान।

"[2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में कहा था

कि जांच और उसके बाद के निर्णय के क्षेत्र में एक अच्छी तरह से परिभाषित और सीमांकित कार्य है। जांच प्रक्रिया की निगरानी करना अदालत का काम नहीं है जब तक कि

जाँच कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। यह जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम तय करे

जाँच की। यदि अदालत जाँच के प्रत्येक चरण और अभियुक्त से पूछताछ में हस्तक्षेप करती है, तो यह जाँच के सामान्य पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा। यह जाँच एजेंसी पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह अभियुक्त से पूछताछ में अपने तरीके से आगे बढ़े, उससे पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति और अभियुक्त से पूछताछ का तरीका।

67. यह कहना एक बात है कि यदि जांच की शक्ति का प्रयोग किसी जांच अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण या गैर-कानूनी तरीके से किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन

धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति, हमेशा उचित जारी कर सकते हैं यदि उच्च न्यायालय आश्वस्त है कि जाँच की शक्ति का प्रयोग जाँच अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, तो पीड़ित व्यक्ति के कहने पर निर्देश

दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। हालांकि, के रूप में पहले बताया गया था कि शक्ति का प्रयोग दुर्लभ मामलों में किया जाना है जहां शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग होता है और आपराधिक संहिता के अध्याय XII के तहत आने वाले प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली प्रक्रिया। जाँच के प्रारंभिक चरणों में जहाँ न्यायालय नियमित जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, वहाँ जाँच के सीमांकित कार्य में प्रवेश करना न्यायालय का काम नहीं है। अपराध स्थापित करने के लिए साक्ष्य/सामग्री का संग्रह

और अभियुक्तों और गवाहों से पूछताछ।

9.9 स्कोडा ऑटो के मामले में इस अदालत के हालिया फैसले में

वैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020

ऑनलाइन एससी 958, यह पैराग्राफ 41 में निम्नानुसार देखा गया है:

" 41. यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि जब से निर्णय लिया गया है

राजा सम्राट बनाम में प्रिवी काउंसिल। ख्वाजा नजीर अहमद आकाशवाणी

1945 पी. सी. 18, कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालतें मैसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. को विफल नहीं करेंगी।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

कोई भी जांच। केवल उन मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। जैसा कि चेतावनी दी गई है। इस
न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम. भजन लाल 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335, रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। एक शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, न्यायालय विश्वसनीयता के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकता है या

एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता या अन्यथा। एस. एम. दत्ता बनाम गुजरात राज्य (2001) 7 एस. सी. सी. 659 इस न्यायालय ने फिर से आगाह किया कि आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रारंभिक चरण में असफल नहीं होना चाहिए। शिकायत को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए। एस. एम. दत्ता (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से व्यापक रूप से भी किसी अपराध का खुलासा होता है, तो विधि न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए।

10. इस न्यायालय के उपरोक्त फैसलों से, ख्वाजा नजीर अहमद के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले से

(ऊपर), कानून के निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं: i) पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

(ii) न्यायालय संज्ञेय मामले में किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

अपराध;

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय ऐसा नहीं करेगा।

(iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (धारा 482 Cr.P.C के तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामलों के मानक को उस मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है); v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत विश्वसनीयता या वास्तविकता के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है।

या अन्यथा एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोपों का; [2021] 4 एस. सी. आर.

(vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) किसी शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं।

गतिविधियों के क्षेत्र। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को धारा 482 Cr.P.C द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है।

(ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं। x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए।

अपराधों की जाँच के चरण में हस्तक्षेप करना;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान नहीं करती हैं।

न्यायालय पर अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र; xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए।

इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह समय से पहले होगा

अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि शिकायत/एफ. आई. आर. जांच के योग्य नहीं है या यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

कानून से। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) हालांकि, साथ ही, अदालत, यदि वह उचित समझती है, तो रद्द करने और लगाए गए आत्म-संयम के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए

कानून द्वारा, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में

आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। और मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा एफ. आई. आर. को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है, तो अदालत को जब धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करना होता है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि क्या एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं और गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोप एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को एफ. आई. आर. में आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है।

11. क्या उच्च न्यायालय स्थगन देने में उचित होगा

भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने तक आगे की जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करने से पहले, उच्च न्यायालय को इस आदेश को लागू करना होगाः धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही को रद्द करते समय जिन मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

इसके अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का, जिसका उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है। 12. किसी दिए गए मामले में, एक नागरिक विवाद को आपराधिक विवाद में परिवर्तित करके कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप हो सकते हैं, केवल

अभियुक्त पर दबाव बनाने का दृष्टिकोण। इसी तरह, किसी दिए गए मामले में शिकायत को ही कानून द्वारा वर्जित कहा जा सकता है। एफ. आई. आर./शिकायत में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में और चौकसी के साथ असाधारण मामलों में, उच्च न्यायालय आगे की जांच पर रोक लगा सकता है। हालाँकि, एक ही समय में, वास्तविक शिकायतें/एफ़. आई. आर. हो सकती हैं और पुलिस/जाँच एजेंसी के पास संज्ञेय मामले की जाँच करने का वैधानिक दायित्व/अधिकार/कर्तव्य है।

अपराध। इसलिए, वास्तविक शिकायतकर्ताओं के अधिकारों और एक आयोग का खुलासा करने वाली एफ. आई. आर. के बीच संतुलन बनाना होगा। संज्ञेय अपराध और एक ओर संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए जांच एजेंसी का वैधानिक दायित्व/कर्तव्य और

वे निर्दोष व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है जो किसी मामले में कानून की प्रक्रिया और प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। हालाँकि, यदि तथ्य अस्पष्ट हैं और जाँच अभी शुरू हुई है, तो उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में चौकस रहेगा और उच्च न्यायालय को जाँच एजेंसी को संहिता के प्रावधानों के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का प्रयोग करते हुए जाँच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे मामले में भी उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण देने/निर्दिष्ट करने होते हैं कि इस स्तर पर आगे की जांच पर रोक लगाने की आवश्यकता क्यों है।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि न्याय के आपराधिक प्रशासन में त्वरित जांच की आवश्यकता है।

13. उच्च न्यायालयों द्वारा जाँच या मुक़दमे पर रोक लगाने की मंजूरी की निंदा करते हुए, यह न्यायालय इम्तियाज़ अहमद (ऊपर) के मामले में,

अनुच्छेद 25 से 27, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए:

" 25. अनुचित रूप से लंबे समय तक देरी करने से कानून के शासन का घोर उल्लंघन होता है और कानून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्याय तक आम आदमी की पहुंच। किसी व्यक्ति की न्याय तक पहुंच संविधान के तहत एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है और

विशेषतः अनुच्छेद 21। इस अधिकार से इनकार करना न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है और लोगों को शॉर्टकट और अन्य मंचों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां उन्हें लगता है कि न्याय जल्दी किया जाएगा। लंबे समय में, यह न्याय को भी कमजोर कर देता है

वितरण प्रणाली और कानून के शासन के लिए खतरा है।

26. यह उजागर करना अनुचित नहीं हो सकता है कि न्याय तक पहुँच को विशुद्ध रूप से मात्रात्मक आयाम में नहीं समझा जाना चाहिए। समतावादी लोकतंत्र में न्याय तक पहुँच का अर्थ न्याय तक गुणात्मक पहुँच के रूप में भी समझा जाना चाहिए। इसलिए न्याय तक पहुंच किसी व्यक्ति की अदालतों तक पहुंच में सुधार या प्रतिनिधित्व की गारंटी से कहीं अधिक है। इसे शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी और न्यायिक परिणाम न्यायसंगत और न्यायसंगत हैं [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्याय तक पहुंच देखें।

अभ्यास टिप्पणी (2004)]।

27. वर्तमान मामला यह दोहराने की आवश्यकता का खुलासा करता है कि "न्याय तक पहुँच" कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें निहितार्थ से एक स्वतंत्र न्यायपालिका तक पहुँच का अधिकार शामिल है। यह है।

प्रस्तुत किया कि महत्वपूर्ण अवधि के लिए जांच या मुकदमे पर रोक

समय कानून के शासन के सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें नागरिकों के अधिकार और आकांक्षाएं मामलों के त्वरित समापन के साथ जुड़ी हुई हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक मामलों के समापन में देरी स्वयं न्याय तक पहुँच के अधिकार पर प्रतिबंध का संकेत देती है, इस प्रकार संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, विशेष रूप से अनुच्छेद के तहत।

21. "

14. रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के एशियन रिसर्फेसिंग के मामले में इस न्यायालय द्वारा फिर से इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। मेसर्स नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. द्वारा अंतर्वर्ती आदेशों/आपराधिक कार्यवाही पर रोक की निंदा करके।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालयों में, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि रोक को कार्यवाही में देरी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि रोक लगाने या इसे बढ़ाने का आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए और लंबे समय तक काम नहीं करने के लिए रुकना चाहिए। उक्त निर्णय में आगे यह देखा गया है कि आपराधिक मुकदमे में देरी का आपराधिक मामलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

कि जहाँ भी रोक दी जाती है, वहाँ एक बोलने का आदेश पारित किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि मामला एक असाधारण प्रकृति का था। 15. जैसा कि ऊपर देखा गया है, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।

ऐसे मामलों में, और केवल असाधारण मामलों में और जहां यह पाया जाता है कि गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, उच्च न्यायालय, भारत के संविधान की धारा 482 और/या अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राथमिकी/शिकायत/आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है और आगे की जांच पर भी रोक लगा सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, यानी, प्राथमिकी/शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद दायर याचिका को रद्द करना और पुलिस को प्राथमिकी/शिकायत के आरोपों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पुलिस का वैधानिक अधिकार/कर्तव्य है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति है। बहुत व्यापक, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में देखा गया है, व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और यह न्यायालय पर एक भारी और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है। इसलिए, असाधारण मामलों में, जब उच्च न्यायालय इसे उचित समझता है, तो रद्द करने और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि कानून में उचित माना जाता है, हालांकि, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण देने होते हैं जो अदालत द्वारा प्रासंगिक तथ्यों पर मन के अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करेंगे।

16. हम उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही को रद्द करने में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और/या "अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" के अंतरिम आदेश पारित करने वाले कई आदेशों को देखते हैं।

किसी भी कारण से। हमें उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए, जांच के दौरान या धारा 173 Cr.P.C के तहत आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दायर होने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के कई आदेश भी मिले हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह वैधानिक अधिकार है और यहां तक कि पुलिस का कर्तव्य भी है कि वह संज्ञेय अपराध की जांच करे और जांच के दौरान सबूत एकत्र करे। हिरासत में जाँच की आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए अभियुक्त को पुलिस हिरासत में होना आवश्यक है (जिसे रिमांड के रूप में जाना जाता है)। इसलिए, गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" के कारण बताए बिना इस प्रकार के पूर्ण अंतरिम आदेश पारित करने से जांच में बाधा आएगी और Cr.P.C के प्रावधानों के तहत प्रदत्त संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस के वैधानिक अधिकार/कर्तव्य को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए, इस तरह का एक व्यापक आदेश बिल्कुल भी उचित नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश को उन कारणों का खुलासा करना चाहिए कि उसने धारा 482 Cr.P.C के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक विज्ञापन-अंतरिम निर्देश क्यों पारित किया है।

उपरोक्त पर दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह का व्यापक आदेश देने से न केवल जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इसके दूरगामी निहितार्थ भी होंगे। जहां जांच लंबे समय तक रोकी जाती है, भले ही रोक अंततः खाली कर दी जाती है, बाद की जांच इस साधारण कारण से बहुत उपयोगी नहीं हो सकती है कि सबूत अब उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यदि प्राथमिकी/शिकायत में नामित अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार करता है, तो उसके पास धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उपाय है।

धारा 438 Cr.P.C के तहत जमानत मिलने पर उसे सक्षम अदालत द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी बिना इलाज के है। यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि अग्रिम

धारा 438 Cr.P.C के तहत जमानत धारा 438 Cr.P.C के तहत निर्धारित शर्तों पर दी जा सकती है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली प्राथमिकी के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहा है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, तो उसके पास धारा 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का उपाय है।

जैसा कि इस न्यायालय ने हेमा मिश्रा बनाम के मामले में कहा था। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 453, हालांकि उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 के तहत बहुत व्यापक शक्तियां हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए किया जाना है।

और अधिकारियों द्वारा एम/एस नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. द्वारा अंधाधुंध रूप से कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त व्यक्तियों की पूर्व गिरफ्तारी करना। यह भी देखा गया है कि

अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी याचिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय से दोनों हितों को संतुलित करने की अपेक्षा की जाती है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी शक्ति का उदारता से प्रयोग नहीं किया जाए ताकि इसे धारा 438 में परिवर्तित किया जा सके। यह भी कहा गया है कि दूसरी ओर जब भी उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि किसी मामले में यदि गिरफ्तारी से पहले संरक्षण नहीं दिया जाता है, तो यह न्याय की घोर विफलता होगी और मुकदमा लंबित रहने तक गिरफ्तारी के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत की प्रकृति में राहत देने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. जहां तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश और/या अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर होने तक और/या गिरफ्तारी के दौरान कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने का आदेश है। जाँच पूरी होने तक जाँच या गिरफ्तारी न करना, धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया गया और यह राय दी गई कि एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

18. हबीब अब्दुल्ला जिलानी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा पारित ऐसी प्रथा/आदेशों की निंदा की, जिसमें पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया, जबकि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया।

अस्वीकार्य है। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि "हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए या राय व्यक्त करते हुए कि जांच पर रोक लगाना उचित नहीं है, पुलिस को जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना बिल्कुल अकल्पनीय और अकल्पनीय है।" यह आगे देखा गया है कि इस प्रकार आदेश वास्तव में अनुचित और अनुचित है और इसकी [2021] 4 एस. सी. आर. में कोई मंजूरी नहीं है।

कानून। यह भी कहा गया है कि अदालतों को अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने से बेईमान वादियों को बाहर निकालना और बाधित करना चाहिए

एक टोपी की बूंद पर एक प्राथमिकी या जांच शुरू करने को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने और फिर एक अंतरिम आदेश द्वारा राहत पाने के लिए। यह आगे देखा गया है कि इस तरह के सिद्धांतहीन और अनैतिक वादियों को दूर रखना अदालत का दायित्व है।

उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदनों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की और निंदा की है, इस प्रभाव से कि यदि याचिकाकर्ता-अभियुक्त विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, तो उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत के लिए स्वीकार किया जाएगा जो संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाने के लिए उचित और उचित समझे जाते हैं। यह देखा गया है कि ऐसे आदेश धारा 438 Cr.P.C के तहत प्रदत्त शक्तियों से परे हैं। इसके बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 25 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

" 25. इसे याद दिलाने के बाद, वर्तमान में हम केवल यह कह सकते हैं कि वर्तमान जैसे आदेशों के प्रकार पूरी तरह से अस्थिर हैं, क्योंकि यह उपरोक्त तय किए गए सिद्धांतों और न्यायिक पूर्वजों के विपरीत है। पूर्ववर्ती से बचना और ऐसे निर्देश जारी करना जो कानून के अनुरूप नहीं हैं, यह बौद्धिक सत्य है। यह एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह न्यायिक संतुलन बनाए रखे और किसी ऐसे आदेश के बारे में न सोचे जो निर्णय की प्रक्रिया को आघात पहुंचा सके। यह मध्य में माना जाना चाहिए कि निर्णय लेने की संस्कृति तब स्थिर होती है जब बौद्धिक अनुशासन बनाए रखा जाता है और आगे जब ऐसा होता है।

अनुशासन मन को लगातार सुरक्षित रखता है।

19. हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हबीब अब्दुल्ला जिलानी (ऊपर) के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद, इस तरह की निंदा करते हुए

20. रावुरी कृष्ण मूर्ति (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के हालिया फैसले में, इस पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित इसी तरह के आदेश को दरकिनार कर दिया। गिरफ्तारी से संरक्षण, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी कि रद्द करने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. का निपटारा करते हुए।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

आवश्यकता पड़ने पर जाँच अभिकरण के समक्ष उपस्थित हों और जाँच अभिकरण के साथ सहयोग करें। हबीब अब्दुल्ला जिलानी (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी को दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने से रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। इस प्रकार, यह पाया गया है कि हबीब अब्दुल्ला जिलानी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के पूर्ण प्रस्ताव के बावजूद

कि जाँच पूरी होने तक गिरफ्तारी न करने का ऐसा व्यापक आदेश

और अंतिम रिपोर्ट दायर की जाती है, धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए पारित किया जाता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालयों ने ऐसे आदेश पारित करना जारी रखा है। इसलिए हम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को फिर से दोहराते हैं और हम सभी उच्च न्यायालयों को इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश देते हैं।

हबीब अब्दुल्ला जिलानी (ऊपर) और वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जिसका अन्यथा उच्च न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य हैं।

हम उच्च न्यायालयों को इस तरह के आदेश पारित करने के खिलाफ फिर से आगाह करते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे", जबकि भारत के संविधान की धारा 482 Cr.P.C और/या अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं को रद्द करने पर विचार नहीं किया जाएगा। 21. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतरिम आदेश की वैधता की बात है, जिसमें जांच एजेंसी/पुलिस को "गोद नहीं लेने" का निर्देश दिया गया है

अभियुक्त के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कदम का संबंध है, नीचे बताए गए कारणों से, यह टिकाऊ नहीं है:

i) कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसा पूर्ण अंतरिम आदेश जांच एजेंसी की जांच करने की शक्तियों को प्रभावित करता है

संज्ञेय अपराध, जो अन्यथा एक वैधानिक अधिकार/कर्तव्य है

Cr.P.C के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पुलिस।;

(ii) कि अंतरिम आदेश एक गुप्त आदेश है; iii) कि उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का ऐसा व्यापक आदेश पारित करते समय कोई भी कारण नहीं दिया गया है; [2021] 4 एस. सी. आर.

(iv) यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय का "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करने का क्या अर्थ था, क्योंकि विवादित अंतरिम आदेश से यह स्पष्ट है कि यह उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि जहां तक अभियुक्तों का संबंध है, वे पहले से ही विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण से संरक्षित हैं, और इसलिए उच्च न्यायालय के लिए "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने का कोई और कारण और/या औचित्य नहीं था। यदि उच्च न्यायालय का मतलब जांच एजेंसी/पुलिस को आगे की जांच नहीं करने का निर्देश देते हुए "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का ऐसा अंतरिम आदेश पारित करना था, तो उस मामले में, कोई भी कारण बताए बिना ऐसा व्यापक आदेश।

और जांच एजेंसी को संज्ञेय अपराध के आरोपों की आगे की जांच करने की अनुमति दिए बिना भी अन्यथा अस्थिर है। इसने अधिकार को प्रभावित किया है संज्ञेय अपराधों की जाँच करने वाली एजेंसी।

इस तरह का आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने संकेत नहीं दिया है किसी भी कारण से।

21.1 जैसा कि विशेष निदेशक v के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है। मोहम्मद. गुलाम गौस, (2004) 3 एस. सी. सी. 440 कि हालांकि, अंतरिम आदेश पारित करते समय, यह आवश्यक नहीं है कि

गुणों के साथ विस्तृत रूप से निपटें, यह निश्चित रूप से वांछनीय और उचित है उच्च न्यायालय के लिए उन कारणों को इंगित करना जिन्होंने अंतरिम संरक्षण के रूप में ऐसी असाधारण राहत देने में उसके साथ वजन किया है।

21.2 निटको टाइल्स लिमिटेड के मामले में v. गुजरात सिरेमिक फ्लोर टाइल्स एम. एफ. जी. एसोसिएशन, (2005) 12 एस. सी. सी. 454, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई अंतरिम आदेश, विशेष रूप से

जब उस आदेश को उच्च प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपित किया जा सकता है /

फोरम में अनुदान या अस्वीकार के समर्थन में कारण, चाहे वे संक्षिप्त क्यों न हों, शामिल हैं। यह आगे देखा गया है कि ऐसे कारणों के अभाव में, ऐसे उच्च प्राधिकारी/मंच के लिए यह निर्धारित करना लगभग असंभव है कि किस बात ने राहत देने या देने से इनकार करने के लिए राजी किया। 21.3 हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड के मामले में v. भारत संघ, (1998) 2 एस. सी. सी. 242, उच्च न्यायालय द्वारा कारण देने पर जोर देते हुए, यह देखा गया है कि कारण प्रदान करने की आवश्यकता,

चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के समर्थन में दोहराया जाना बहुत स्पष्ट है। कारण देने की बाध्यता स्पष्टता का परिचय देती है और नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. के परिवर्तनों को बाहर करती है या किसी भी दर से कम करती है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

मनमानी और उच्च मंच उन कारणों की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं।

21.4 निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान दिए जाने वाले कारणों के महत्व पर विचार करते हुए, क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड के मामले में। मसूद अहमद, (2010) 9 एस. सी. सी. 496, पैराग्राफ 47 में, इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा है:

" 47. उपरोक्त चर्चा का सारांश देते हुए, यह न्यायालय कहता है:

(ख) एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए। (ग) कारणों को दर्ज करने पर जोर देना न्याय के व्यापक सिद्धांत को पूरा करने के लिए है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया भी प्रतीत होना चाहिए।

(घ) कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या किसी भी संभावित मनमाने अभ्यास पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी काम करता है। यहाँ तक कि प्रशासनिक शक्ति भी।

(ई) कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णय निर्माता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

बाहरी विचार।

(च) कारण लगभग अपरिहार्य हो गए हैं

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया का घटक प्रशासनिक निकाय।

(छ) कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं।

(ज) कानून के शासन और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति तर्क के पक्ष में है

प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर निर्णय। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय की जीवनदायिनी है-इस सिद्धांत को उचित ठहराते हुए कि तर्क न्याय की आत्मा है।

(i) न्यायिक या यहां तक कि अर्ध-न्यायिक राय इन दिनों उतनी ही अलग हो सकती है जितनी कि उन्हें देने वाले न्यायाधीशों और अधिकारियों की।

ये निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो है -

कारण से प्रदर्शित करें कि प्रासंगिक कारक हैं

वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया। न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

(जे) न्यायपालिका दोनों के लिए तर्क पर जोर देना एक आवश्यकता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता।

(ट) यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्ववर्ती के सिद्धांत या वृद्धि के सिद्धांतों के प्रति वफादार है या नहीं।

(1) निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या "रबर-स्टाम्प कारण" है

एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए।

(एम) इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि पारदर्शिता अनिवार्य है।

न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध न लगाना। पारदर्शिता

निर्णय लेना न केवल न्यायाधीशों और निर्णय निर्माताओं को त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील बनाता है, बल्कि उन्हें व्यापक जांच के अधीन भी बनाता है। (न्यायिक कैंडोर की रक्षा में डेविड शापिरो देखें [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731-37]।

(एन) चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है

इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था। रुइज़ को देखें टोरीजा वी. स्पेन [(1994) 19 ई. एच. आर. आर. 553] ई. एच. आर. आर., 562 पैरा 29 और अन्या बनाम। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय [2001 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 405 (सी. ए.)]

जिसमें न्यायालय ने यूरोपीय संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया था।

मानवाधिकार सम्मेलन जिसके लिए आवश्यक है, "पर्याप्त और

न्यायिक निर्णयों के लिए बुद्धिमान कारण दिए जाने चाहिए।

(0) सभी सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भविष्य के लिए उदाहरण स्थापित करने में भूमिका। अतः इसके लिए

कानून का विकास, निर्णय के लिए कारण देने की आवश्यकता

यह सार है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

इसलिए, इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करते समय भी, सावधानी और सावधानी के साथ असाधारण रूप से, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त विवरण देना होगा कि इस तरह का अंतरिम आदेश पारित करना क्यों आवश्यक है, विशेष रूप से उच्च न्यायालय मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" के इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करने में कानून और तथ्यों की भी गंभीर त्रुटि की है।

रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है।

2021 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 4961

22. 2021 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 4961 को प्रतिवादी संख्या द्वारा प्राथमिकता दी गई है। 2 यहाँ 4 को-मूल अभियुक्त के तहत

धारा 340 आर/डब्ल्यू धारा 195 (1) (बी), Cr.P.C. अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए। यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने महत्वपूर्ण को दबा दिया है

दस्तावेजों/समझौतों और तथ्यों और सामग्री दस्तावेजों/समझौतों और तथ्यों को दबाकर इस न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी गई है।

संबंधित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियों और जवाबी प्रस्तुतियों की संख्या की गई है। हालांकि, विचार करें तथ्य यह है कि रद्द करने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना बाकी है, हम वर्तमान आवेदन पर विचार करने और वर्तमान आवेदन में आरोपों के गुण-दोष में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

हालाँकि, यह कहना पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय ने 12.10.2020 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें 28.09.2020 द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी गई है।

उच्च न्यायालय, संक्षिप्त कारण बताते हुए और भले ही जिन दस्तावेजों/समझौतों को कथित रूप से दबा दिया गया हो, उनका इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12.10.2020 दिनांकित अंतरिम आदेश पारित करते समय क्या तौला जाता है, यह 12.10.2020 दिनांकित अंतरिम आदेश से बहुत स्पष्ट है। इसलिए, हम आपराधिक विविध याचिका संख्या 4961/2021 को बंद कर देते हैं और परिणामस्वरूप उसी का निपटारा किया जाता है।

निष्कर्ष -

23. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारे

प्रमुख/मुख्य मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष, क्या उच्च न्यायालय जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करने में उचित होगा धारा 482 Cr.P.C और/या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए"।

भारत का संविधान और किन परिस्थितियों में और क्या उच्च न्यायालय अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश पारित करने में उचित होगा या जांच के दौरान "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए" या [2021] 4 एस. सी. आर.

जब तक धारा 173 Cr.P.C के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तब तक धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही/शिकायत/प्राथमिकी को खारिज करते हुए/निपटाते हुए/मनोरंजन नहीं करते हुए/रद्द नहीं करते हुए, हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i) पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए संहिता का अध्याय XIV

अपराध;

(ख) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

(ग) केवल उन मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, जैसा कि यह देखा गया है, 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों में (इस मामले में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)।

मृत्युदंड का संदर्भ)।

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है।

(vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए। vii) शिकायत/एफ़. आई. आर. को रद्द करना एक अपवाद होना चाहिए।

एक साधारण नियम के बजाय;

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए; ix)
न्यायपालिका और पुलिस के कार्य हैं -

पूरक, अतिव्यापी नहीं;

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच चल रही है, तो अदालत को गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए

एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि

शिकायत/एफ़. आई. आर. जाँच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के बाद, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

अदालत; xiv) हालांकि, एक ही समय में, अदालत, यदि वह उचित समझती है, तो रद्द करने के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए और

कानून द्वारा लगाया गया आत्म-संयम, विशेष रूप से

आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के पास प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है। xv) जब कथित अभियुक्त और अदालत द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि क्या प्राथमिकी में लगाए गए आरोप किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने का खुलासा करते हैं।

संज्ञेय अपराध या नहीं। न्यायालय को गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि गुण-दोष के गुण-दोष हैं या नहीं।

आरोप एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को प्राथमिकी में आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है; [2021] 4 एस. सी. आर.

xvi) उपरोक्त मापदंड लागू होंगे और/या उपरोक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/या यांत्रिक रूप से पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही होती है और तथ्य अस्पष्ट होते हैं और पूरा सबूत/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय को इससे खुद को रोकना चाहिए।

सक्षम न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या अंतिम सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। रिपोर्ट/आरोप पत्र धारा 173 Cr.P.C के तहत दायर किया जाता है, जबकि धारा 482 Cr.P.C और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/निपटाया जाता है।

xvii) यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापक मापदंडों पर विचार करने के बाद आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनाया गया है।

न्यायालय को संक्षिप्त कारण देने होंगे कि इस तरह के अंतरिम आदेश की आवश्यकता क्यों है और/या इसे पारित करने की आवश्यकता है ताकि यह हो सके न्यायालय द्वारा मन के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करें और उच्च मंच इस बात पर विचार कर सकता है कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय के साथ क्या विचार किया गया था।

xviii) जब भी उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मापदंडों के भीतर "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एम/एस नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. शब्द के रूप में "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने" का क्या अर्थ है।

लिमिटेड। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

" कोई भी जबरदस्ती कदम नहीं अपनाया जाना चाहिए जिसे बहुत अस्पष्ट और/या व्यापक कहा जा सकता है जिसे गलत समझा जा सकता है और/या

गलत प्रयोग किया गया।

24. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। विवादित अंतरिम आदेश/निर्देश निहित है।

विवादित अंतरिम आदेश दिनांक 1 के खंड (डी) में जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ "कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाना चाहिए"। 2 से 4) वर्ली पुलिस थाने में दर्ज एफ. आई. आर. सं. 367/2019 दिनांक 19.09.2019 के संबंध में,

मुंबई, महाराष्ट्र (जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा, इकाई IX, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे सी. आर. संख्या <आई. डी. 1 के रूप में पुनर्नामित किया गया) को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है, विशेष रूप से

25. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हबीब अब्दुल्ला जिलानी (उपरोक्त) और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बावजूद ऊपर उल्लिखित निर्णय, कुछ उच्च न्यायालयों ने इस तरह के अंतरिम आदेश पारित करना जारी रखा है, हम रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को भेजने का निर्देश देते हैं, जिसे उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को प्रसारित करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे